दूरभाष 0151-2970655 राजस्थान-सरकार ई-मेल jdmandalbkn@gmail.com

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर

क्रमांकः- संनि/स्कूल शिक्षा/बीका/भण्डार/2019-20/05 दिनांकः-14.08.2019

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
बीकानेर/श्रीगगांनगर/हनुमानगढ़।

विषयः- भण्डार में उपलब्ध स्थायी सामग्री का वर्ष 2018-19 का भौतिक सत्यापन करने एवं बेशी अप्रचलित/अनुपयोगी सामान का निस्तारण के संबध में।

प्रसंगः- श्रीमान् निदेशक माशि राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य /लेखा/डी-2/28001/19-20 दिनांक 09.08.2019 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रांसगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि भण्डार में उपलब्ध स्थायी सामग्री का वर्ष 2018-19 का भौतिक सत्यापन करने एवं बेशी अप्रचलित/अनुपयोगी सामान का निस्तारण के संबध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि आपके अधिनस्थ कार्यालय/विद्यालय की मॉनिटरिंग करते हुए अनुपयोगी समान के निस्तारण की कार्यवाही दिनांक 30.09.2019 तक अनिवार्य रूप से करते हुए पालना रिपोर्ट निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com

(देवलता)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
बीकानेर संभाग, बीकानेर

क्रंमाक : संनि/स्कूलशिक्षा/बीका/2019-20/भण्डार/05 दिनांकः- 14.08.2019

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. प्रधानाचार्य सादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर।
02. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ।
03. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बीकानेर संभाग।
04. समस्त प्रधानाचार्य राउमावि/प्रधानाध्यापक रामावि अनुपयोगी सामान के निस्तारण की कार्यवाही दिनांक 30.09.2019 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करावें। पालना रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय के माध्य से श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
05. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
बीकानेर संभाग, बीकानेर

F:ravig/m.s.swami/aut

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: तिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/28001/19-20 / दिनांक: 09.08.19

स्मरण पत्र -II

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक (मुख्यालय)
समस्त मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी,

विषय:- भण्डार में उपलब्ध स्थायी सामग्री का वर्ष 2018-19 का भौतिक सत्यापन करने एवं बेशी अप्रचलित/अनुपयोगी सामान का निस्तारण बाबत ।

प्रसंग:- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 19.06.19 एवं 01.08.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा आपको अपने अधीनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों में सामान्य वित्तीय लेखा नियम भाग-I के नियम 18 एवं 22 के प्रावधानों के अन्तर्गत सर्वे/नीलामी कमेटियां गठित कर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों की पूर्ण पालना करते हुए अनुपयोगी सामान का निस्तारण अभियान चलाकर 30.09.2019 तक करने के निर्देश दिये गये थे । अनुपयोगी सामान के निस्तारण के लिए सर्वे एवं नीलामी कमेटी में सदस्य के रूप में लेखा कार्मिकों को सम्मिलित किया जाना आवश्यकता होता है । विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में लेखा कार्मिकों की कमी को ध्यान में रखते हुए समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र , मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा मुख्यालय एवं मुख्य खंड शिक्षा अधिकारियों को आपसी समन्वय कर विभाग के किसी भी कार्यालय में पदस्थापित लेखा कार्मिकों (लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I, II, एवं कनिष्ठ लेखाकार) को कार्यालयों एवं विद्यालयों के अनुपयोगी सामान निस्तारण के लिए सर्वे एवं नीलामी कमेटी में सम्मिलित किया जाकर अनुपयोगी सामान के निस्तारण की कार्यवाही दिनांक 30.09.2019 तक अनिवार्य रूप से की जाकर अपने अधीनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों में अनुपयोगी सामान निस्तारण से वंचित न होना सुनिश्चित कर इस कार्यालय को प्रगति रिपोर्ट से अवगत करावें ।

www.rajteachers.com

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय अनुपयोगी सामान के निस्तारण की नियमित मोनिटरिंग हेतु अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी /सहायक लेखाधिकारी I, II को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर प्रतिमाह परिक्षेत्र/ जिले की समेकित रिपोर्ट इस कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट माह की 5 तारीख को निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से caosecedu@gmail.com पर अपलोड करें ।

क्र. सं.	कार्यालय/विद्यालय का नाम	सामान का पुस्तक मूल्य	नीलामी से प्राप्त आय	जी.एस.टी.	नीलामी से प्राप्त कुल आय	चालान नं. / दिनांक
1	2	3	4	5	6	7

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28001/19–20/ दिनांकः 09.08.2019

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक प्रशासन, माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि भण्डार में उपलब्ध समस्त अनुपयोगी सामग्री का सत्यापन पश्चात निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
2. उप निदेशक, समाज शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर
4. प्रधानाचार्य सादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर ।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा ।
6. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
7. समस्त प्रधानाचार्य राउमावि/प्रधानाध्यापक रामावि अनुपयोगी सामान के निस्तारण की कार्यवाही दिनांक 30.09.2019 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करावे । पालना रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय के माध्यम से इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

www.rajteachers.com

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर